

(भविष्य निवृत्ति निधि से अंतिम निष्कासन (Final Withdrawal) की स्वीकृत प्रदान करने के आदेश का प्रारूप)

कार्यालय ज्ञाप

इलम जत, भैरपुरी

1 एतदद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी श्री/श्रीमती/कुमारी बारा बारादुर यादव, 31/12/20 को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एल०जे०यू० 23178 से युती के प्रयोजन के व्यय वसूल करने हेतु 12,00,000/- रुपये (शब्दों में) बारह लाख का अंतिम निष्कासन सामान्य भविष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, १९८५ के नियम संख्या 16(1)(a)(b) 21 परंतु 17(1)(a) के अनुसार स्वीकार किया जाता है।

2 अंतिम निष्कासन की धनराशि श्री/श्रीमती/कुमारी श्री/श्रीमती/कुमारी बारा बारादुर यादव के ~~ज-महीने के वेतन~~ अथवा निधि में जमा अवशेष के आधे/तीन चौथाई भाग से अधिक नहीं होगी। मूल नियमावली (फण्डामेंटल रूल) में यथापरिभाषित उनका मूल वेतन 63,870/- रू० है।

3 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी श्री/श्रीमती/कुमारी बारा बारादुर यादव ने दिनांक 24.09.2019 को अपनी सरकारी सेवा के ~~पन्द्रह~~/बीस वर्ष पूरे कर लिये हैं, १० वर्ष में अधिवाषिकी पर सेवा निवृत्त होंगे/होंगी।

4 दिनांक 07.02.2022 को उपलब्ध कराये गये अभिलेख की स्थिति के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी श्री/श्रीमती/कुमारी बारा बारादुर यादव के खाते में जमा अवशेष राशि का ब्योरा निम्न प्रकार है।

- (१) वर्ष 2020-21 की लेखा-पर्ची/सामान्य भविष्य निधि पास बुक की विवरणिका के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि रू० 80,48,706/-
- (२) माह मार्च, 21 से माह अप्रैल, 21 तक प्रतिमाह की दर से अभिदान रू० 80,000/-
- (३) माह ..... से माह ..... तक प्रतिमाह रू० +
- की दर से अधिम की वसूली रू० ..... (क) रू० 31,29,706/-
- (४) मद (१), (२) तथा (३) का योग रू० .....
- (५) बाद में स्वीकृत अंतिम निष्कासन, यदि कोई हो रू० .....
- (६) स्वीकृत प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद (४) में से मद (५) घटाइये रू० .....
- (क) वर्ष ..... की लेखा-पर्ची के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को पिछली बार आदेश संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा ..... रू० का कोड अंतिम निष्कासन स्वीकार नहीं किया गया था।
- (ख) ज्ञात हुआ है कि श्री ..... को (जैसा कि उन्होंने बताया) ..... (स्वीकृत कर्ता) द्वारा पिछली बार अंशतः अंतिम निष्कासन के रूप में रू० ..... की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

दिनांक .....

सक्षम अधिकारी,  
न्यायाधीश,  
उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।